LOK SABHA

Tuesday, May 4, 1965/Vaisakha 14, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

RE: QUORUM

Mr. Speaker: Should I repeat my request that I should not have to wait till the quorum is there? Members should take greater care that at least from the start we must have the quorum at 11 o/clock.

ORAL ANSWERS TO QUSETIONS

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर

\+

*1147. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेमराज :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 24 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य के सेंट्रल कोग्रापरेटिव स्टोर के कार्यकरण में भारी अनियमितताओं सम्बन्धी पुलिस जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव ((श्री शिन्दे): पुलिस जांच की

रिपोर्ट के आधार पर (क) अनाधिकृत स्थान में गुड/खांडसारी स्टोर करने व बेचने तथा निदेशक, सिविल रसद, दिल्ली को पाक्षिक विवरण न भेजने और (ख) लोहे व इस्पात की चोरबाजारी करने के बारे में अभियोग चलाए गए हैं।

सब-स्टैण्डर्ड कोयला बेचने के बारे में पुलिस जांच कर रही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली के इस कोग्रापरेटिव स्टोर के सम्बन्ध में जैसी अभी आपने चर्चा की, कोयले और लोहे के घोटाले के सम्बन्ध में पुलिस ने अपनी जो रिकमेन्डेशन दी थी उसमें दस व्यक्तियों के नाम थे। उस पुलिस रिपोर्ट में दो पार्लियामेंट के मेम्बरों के नाम भी थे। लेकिन कहा जाता है कि एक नाम तो चीफ कमिश्नर ने उसमें से निकलवा दिया और दूसरे ने फिर से केस को रिओपन करवा कर अपना नाम उसमें से हटवा दिया। यदि यह बात सत्य है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सहकारी स्टोरों से कैसे इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है ?

Shri Shinde: As far as the factual position is concerned, after the completion of the police investigation in respect of blackmarketing in iron and steel, GC sheets, charge-sheets have been framed against six persons and six different cases have been filed in the court of law. The cases are pending at present in the SDM's court, Paharganj.

Mr. Speaker: The hon. Member says that there were two names of Members of Parliament and by some influence they have been taken out from those lists.

Shri Shinde: I think the police have proceeded without interference

from anybody; and the doubts of the hon. Member, I think have no substance.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी मंत्री महोदय ने छः व्यक्तियों के नाम बतलाये । जहां तक मेरी जानकारी है उसमें दस नाम थे, छः नाम नहीं थे । लेकिन उन छः में से बाद में एक ने केस को रिआपन करवा कर अपना नाम उसमें से हटवा दिया । फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के किस किस मेम्बर का नाम पुलिस की रिपोर्ट में था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो आडिटर की रिपोर्ट इस कोआपरेटिव स्टोर के सम्बन्ध में थी उसको गायब कर दिया गया है ।

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): I do not think any case has been filed so far as coal is concerned. The matter relating to coal has been entrusted to the Central Bureau of Investigation. As far as the other two cases are concerned, one is regarding the sale of gur and khandsari from unauthorised premises; a case has been instituted. Two persons have been charge-sheeted. As my colleague stated, regarding G.C. sheets, a case has been instituted and six persons have been charge-sheeted. None of them is a Member of Parliament. There is no question of the list submitted by the police being interfered with either by the Delhi Administration or the Central Government.

श्री भागवत झा आजाद : इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई पुलिस ने की, जिसका बार बार यहां पर नाम लिया जाता है, क्या यह बात सत्य नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ केस चला था उनके खिलाफ पूरी एन्क्वायरी करने के बाद ही केस चला था । यदि यह बात सत्य है तो क्या इस केस की पूरी एन्क्वायरी हो गई है और क्या यह बात सत्य नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं पाई गई, जिनके बारे में यहां बार बार कहा जाता है ।

Shri B. S. Murthy: Every care is being taken to see that this enquiry is conducted as judiciously as possible. Therefore, we are getting an enquiry officer from Rajasthan. Even audit of this stores has been entrusted to a team of officers made available by the Auditor-General.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पुलिस ने जो पहली रिपोर्ट दी थी उसमें दो पार्लियामेंट के मेम्बरों श्री ब्रह्म प्रकाश और शिव चरण गुप्त के नाम भी थे ऐसा बतलाया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है ।

Shri B. S. Murthy: The police have not given the report to anybody. If they find any *prima facie* case they file a case against the persons concerned.

Shri Shinkre: Why is he not replying to the question directly?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आखिर आप उसको दबाना क्यों चाहते हैं । किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे ।

Mr. Speaker: The question is, was the case instituted on some FIR to the police and whether that FIR contained any names and whether that list of names included the names of 2 Members of Parliament.

Shri B. S. Murthy: We have no idea about that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह सवाल को टालने की कोशिश की जा रही है ।

Mr. Speaker: If he has no idea, he should find out the facts and tell the House.

Shri Bhagwat Jha Azad: As a precedent for the future, I want a ruling from you on this matter. There are cases where sometimes wrong persons are involved and on investigation, it is found that they are not there. Is it correct to say in this House such names which possibly might have been referred to, but which on subsequent investigation were found to be

untrue? Should those names be mentioned and unnecessarily a blemish be put upon them? I am not asking about these two names, but for future guidance.

Mr. Speaker: It is for the investigating authority to find out who are guilty and who are not. Everybody is innocent unless he is proved to be guilty. But it is quite legitimate to ask for the information whether the FIR contained any names. They might have been involved unlawfully, out of malice. Somebody might have got that report registered on account of personal enmity. But that is a subsequent thing altogether. First the information is being sought whether the FIR contained those names. It was for the investigating authority to find out whether really there was something against them, and to send up only the names of those against whom they found some proof. Therefore, we cannot presume any guilt in a person who has been put there.

Shri Kapur Singh: We are entitled to know whether some of them were let off due to undue influence.

Mr. Speaker: That has been answered.

Dr. L. M. Singhvi: In view of your intervention and the direction you have been pleased to give, I want to reiterate that the demand has been voiced before the House that if adequate information is not available presently, it should be collected and made available to us, and particularly the names which were mentioned in the report and at what stage they were dropped—this information should be made available to us.

Mr. Speaker: I have said that.

विमान सेवाओं का मिलाना

\+

*1148. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया और दूसरे देशों की विमान के बीच उड़ानों के लाभ में भागी बनने के समझौते किन किन देशों से अभी चालू हैं और उनसे मिल कर हमारी सेवाओं के चलाने में अनुमानतः क्या विमान लाभ अथवा हानि हुई है ;

(ख) एयर इण्डिया को विदेशी विमान सेवाओं से समझौतों से पूर्व तथा बाद में उनसे मिल कर विमान सेवाएं चलाने में हुए लाभ के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या विमान सेवाओं में भागीदारी के सम्बन्ध में अन्य देशों से बातचीत हो रही है और यदि हां, तो कब तक समझौते होने की सम्भावना है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). मिल कर काम करने के समझौते देशों के बीच नहीं बल्कि एयर लाइनों के बीच होते हैं। ऐसे चालू समझौतों के बारे में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मिल कर काम करने के प्रबन्ध सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि एयरलाइन के स्तर पर किए जाते हैं। एयर इण्डिया ने मिल कर विमान सेवाएं चलाने के करार निम्न देशों के साथ किये हैं :—

	जिस तारीख से लागू हुआ है।
(i) एयरोफ्लोत-नेशनल केरियर आफ यू० एस० एस० आर०.	14-8-1958
(ii) चेकोस्लोवाक एयर-लाइन (सी० एस० ए०) नेशनल केरियर आफ चेकोस्लोवाकिया	13-8-1959
(iii) बी० ओ० ए० सी० नेशनल केरियर आफ	•